आदेश पर की बारे में टिप्पणी

(3)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 पिटीसन वाद सं0 02/2021–22

छतीस राय...आवेदक।

बनाम

वागेश्वर राय एवं अन्य..विपक्षी।

आदेश

07.09.2021

यह रे0मि0 पिटीसन वाद मानवाधिकार आयोग झारखण्ड, राँची से प्राप्त वाद सं0–232/2021 में पारित आदेश दिनांक–23.06.2021 के आलोक मे कार्रवाई हेतु प्रारंभ किया गया है। तत्पश्चात् उभय पक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत करते हुए अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ से प्रतिवेदन प्राप्त है। आवेदक की ओर से लिखित बहस एवं विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला मौजा घोड़दोड़ के जमाबंदी सं0–11 के अन्तर्गत 242 के बँटवारे के संबंध में उभय पक्षों के बीच विवाद है। उभय पक्ष एक ही जमाबंदी के रैयत के वंशज एवं सहोदर भाई है। एक ही जमाबंदी रैयत के वंशज एवं सहोदर भाई होने के नाते यह मामला स्वत्व (Title) का प्रतीत होता है। उभय पक्ष चाहे तो इस संबंध में अपना पक्ष सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। इसी समीक्षा के साथ इस वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

2448 ... 25/x/21

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:48:08 +05:30
Location: 169.254.227.244

Triloki N. Sharma Subir Kumar Das Suman P. Kumar Das